बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
(माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक : 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–...78...पटना, दिनांकः–...09/03/22.../

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के परिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख से उपर ₹3.00 लाख तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु0 जाति छात्रवृत्ति मद में ₹360.85 लाख (रुपये तीन करोड़ साठ लाख पच्चासी हजार) मात्र के व्यय की अतिरिक्त स्वीकृति के विरुद्ध विमुक्ति आदेश।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. यह राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्न स्वीकृत्यादेश के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध राशि विमुक्त किया जा रहा है।

क्र0	कल्याण विभाग का स्वी0 सं0/दि0	विषयशीर्ष	मांग सं0	मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	195/ 25.02.2022	0107.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	44	2225	01	277	0107	360.85
	Total							**360.85**
	(रुपये तीन करोड़ साठ लाख पच्चासी हजार)							

3. अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) से उपर ₹3.00 लाख (रुपये तीन लाख) मात्र तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर पाठ्यक्रमो के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति दर के अनुरुप राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जाँचोपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है।

4. इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभग, बिहार होंगे।

5. छात्रवृत्ति की राशि, बिहार कोषागार संहिता–2011 के BTC-43 पर एवं सहायक अनुदान की राशि BTC-42 पर निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

8. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुको को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि PFMS के माध्यम से हस्तान्तरित करने हेतु HDFC BANK LTD. BORING ROAD PATNA में संधारित खाता POST MATRIC CHHATRAVRITI YOJANA SC-ST के खाता संख्या–50100347301075 MICR Code-800240003 IFSC Code-HDFC0000235 में जमा करेंगे।

9. स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

10. इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ० सं0–07/टि० पर प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–78 पटना, दिनांक 09/03/22/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–78 पटना, दिनांक 09/03/22/

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार,

पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/शाखा प्रबंधक HDFC Bank Ltd., बोरिंग रोड, पटना/CFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–....78....पटना, दिनांक....09/03/22..../

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–....78....पटना, दिनांक....09/03/22..../

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–....78....पटना, दिनांक....09/03/22..../

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–....78....पटना, दिनांक....09/3/22..../

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/मु0मं0 पो0 मै0 छात्र0–(अनु0 जाति)–03/2022–....78....पटना, दिनांक....09/3/22..../

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Education Department, (Secondary Education), Bihar, Patna

Pre-Stamped receipt for grants-in-Aid other than salary to be received from government of Bihar through (CFMS/NEFT.)

Received a sum Rs. 360.85 Lakh (Three Crore Sixty Lakh Eighty Five Thousand) Only against Mukhayamantri Post-Matric Scholarship Yojana (SC-ST) from Department of Education, Government of Bihar towards fund for Grant-in Aid Under for the Financial Year 2021-22.

Deputy Secretary
Education Department,
Bihar, Patna

F:\2021-22/Sanction order\P.N 88

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2021–22 अन्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु स्वीकृत्यादेश सं0–195 दिनांक–25.02.2022 के द्वारा विषय शीर्ष 0107.34.01 विपत्र कोड–44–2225012770107 के माध्यम से कुल ₹360.85 लाख (रुपये तीन करोड़ साठ लाख पचासी हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में राशि की निकासी की जा रही है। कोषागार से निकासी के बाद दिनांक–31.03.2022 तक निकासी की गयी राशि DBT के माध्यम से लाभुकों के खाता में अंतरित कर दी जायेगी।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

राज्य स्कीम

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–5 / निदे0–(प्रवे0 छात्र0)–01–09 / 2021– 195

प्रेषक,

दिवेश सेहरा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 25/02/2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख से ऊपर ₹3.00 लाख तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु0 जाति छात्रवृत्ति मद में ₹360.85 लाख (तीन करोड़ साठ लाख पच्चासी हजार रूपये) मात्र व्यय करने की अतिरिक्त स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के राज्य स्कीम मांग सं0–44 आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष 0107–शिक्षा–विषय शीर्ष–0107.34.01–छात्रवृत्ति / वजीफा–विपत्र कोड–44.2225012770107 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4– छात्रवृति की राशि, बिहार कोषागार संहिता–2011 के BTC-43 पर एवं सहायक अनुदान की राशि BTC-42 पर निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5–प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के तहत राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिका में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7–स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

8–इस राशि की स्वीकृति पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–(प्रवे0 छात्र0)–01–09/2021– 195 पटना, दिनांक– 25/02/2022

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग /अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/22

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–(प्रवे0 छात्र0)–01–09/2021– 195 पटना, दिनांक– 25/02/2022

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–(प्रवे0 छात्र0)–01–09/2021– 195 पटना, दिनांक– 25/02/2022

प्रतिलिपिः–निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0–5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–(प्रवे0 छात्र0)–01–09/2021– 195 पटना, दिनांक– 25/02/2022

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।